UPAU010041842026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1081/2026

ममता उर्फ ज्योति देवी पत्नी महताब सिंह निवासिनी इन्द्रानगर नरायनपुर औरैया, थाना व जिला औरैया, उ0प्र0।

प्रति

राज्य आदि।

मुकदमा अपराध सं0–258/2024
धारा–147, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)द, 3(1)ध,
धारा 3(2)(v)क एससी/एसटी एक्ट
थाना औरैया, जिला–औरैया।

दिनांक–24.08.2026

अभियुक्ता ममता उर्फ ज्योति देवी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या–258/2024 धारा 147, 452, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व धारा 3(2)(v)क एससी/एसटी एक्ट थाना औरैया, जिला औरैया से सम्बन्धित है तथा अभियुक्ता आज दिनांक तक अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी रजनेश कुमारी पत्नी राजेश कुमार निवासिनी इन्द्रानगर नरायनपुर थाना व जिला औरैया की है। दिनाक 09.05.2024 को समय करीब 7.30 बजे शाम विपक्षी मुहल्ले का रज्जन राजपूत पुत्र जगत सिंह जबरन प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुस आया और प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष के साथ अश्लील हरकते की छेडछाड करने लगा तथा कपडे फाड़ दिए जिससे प्रार्थिनी की पुत्री नग्न अवस्था में हो गई जब प्रार्थिनी की पुत्री चिल्लायी तो आवाज सुनकर प्रार्थिनी पुत्री को बचाने गयी तो रज्जन ने प्रार्थिनी के ऊपर चाकुओं से हमला बोल दिया जिससे प्रार्थिनी घायल हो गयी और कहा चमरिया साली जिन्दा नहीं छोड़ेगे। इसी बीच रज्जन के परिवारीजन जगत सिंह कल्लू, शिवा, बडे बाबू, छोटे बाबू, काजल, सुमन व ममता आ गये और एक राय होकर प्रार्थिनी व उसकी पुत्री को लात, घूंसों से मारने पीटने लगे और धमकी देकर कहा कि साली चमरिया को पकड़ लो आज जिन्दा न छोडना, प्रार्थिनी व उसकी पुत्री को शोरगुल पर मुहल्ले के सुबोध आदि लोग आ गये जिन्होने विपक्षीगण को ललकारा तव विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। प्रार्थिनी की पुत्री जब ट्यूशन के लिए जाती है तो रज्जन पुत्री का पीछा करता है, और पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करता है, जब प्रार्थिनी ने विपक्षीगण से शिकायत की तो विपक्षीगण मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। अतः

Digitally signed by AKHILESWAR PRASAD MISHRA
Date: 2026.08.24 17:06:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थिनी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जावे।

अभियुक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया है कि प्रार्थिनी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्नीस दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रस्तुत मामले में घटित घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी अंकित नहीं कराया गया है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी प्रतिभू देने को तैयार हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी को दौरान मुकदमा प्रतिभू पर रिहा करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा पर नोटिस तामील है, किन्तु वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है। बाल कल्याण समिति की आख्या संलग्न है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध संलग्न प्रपत्रों, केस डायरी तथा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का सम्यक अवलोकन किया गया। अभियुक्ता आज दिनांक तक अन्तरिम जमानत पर रही है। अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धाराओं के अतिरिक्त अन्य आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। दूसरी ओर मामले के सहअभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्ता द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं उभयपक्ष के तर्कों के आधार पर एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता ममता उर्फ ज्योति देवी पत्नी महताब सिंह, सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं0 258/2024 अन्तर्गत धारा 47, 452, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द, 3(1)ध व धारा 3(2)(v)क एससी/एसटी एक्ट थाना औरैया, जिला औरैया स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु0 20,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किया जाये।

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
औरैया।
JO Code No. UP6287

<u>दिनांकः—24.08.2026</u>